1056/17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

27AD 320076

कार्यालय-उप निबंन्धक तृतीय,वाराणसी
द्वारा नकल संख्या 1856 वर्ष 2017 में
लेखपत्र संख्या 353 वर्ष 2015 की
सत्यापित छायाप्रति स्टाम्प सहित 16
पन्नो में जारी की गयी

पढ़नेवाला-छोटेलाल/अभिलाषा
नि०लि०
सुनने वाला- सत्यांशु सिंह
नि०लि०

सत्य प्रतिलिपि
उ०नि० III, वाराणसी

6624
12.6.2010

[illegible]

प्रदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता
ला.न. 50/9/107/77
कलेक्ट्री कचहरी, [illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AW 566105

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

ट्रस्ट डीड (न्यास पत्र)

हम कि मोहम्मह रफीक अख्तर पुत्र श्री शेख शमी अख्तर निवासी मकान नम्बर एस-8/75ए, खजुरी, अर्दली बाजार, वार्ड सिकरौल, शहर व जिला वाराणसी।

01. ट्रस्ट (न्यास) का नाम-
नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट।

02. ट्रस्ट का पता-
मकान नम्बर एस-8/75ए, खजुरी, अर्दली बाजार, वार्ड सिकरौल, शहर व जिला वाराणसी।

03. मुख्यालय-
पंजीकृत कार्यालय मकान नम्बर एस-8/75ए, खजुरी, अर्दली बाजार, वार्ड सिकरौल, शहर व जिला वाराणसी, उत्तर प्रदेश एवं आवश्यकतानुसार अंयत्र शाखाएं खोली जा सकती है।

पढ़नेवाला-छोटेलाल/अभिलाषा नि०लि०
सत्यांशु सिंह नि०लि०

सुनने वाला-

सत्य प्रतिलिपि
उ०नि० III वाराणसी

... वाला-एस० के० सिन्हा / अभिलाषा
... वाला-ए० के० शुक्ला / छोटे लाल

उ० नि० III वाराणसी

[…]मांक सख्या [illegible] तिथि [illegible]

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

स्टाम्प की धनराशि [illegible]

[…]म्प विक्रेता का नाम--प्रदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता

[…]यट्री कचहरी--वाराणसी

[…]सेन्स की नम्बर--50/9/107/77

[…]सेन्स की अवधि--2012-13 से 2016-17

मैं एतदद्वारा घोषणा करता हूँ कि यह फोटो स्टेट प्रतिलिपि मूल दस्तावेज की सत्य एवं यथार्थ प्रतिलिपि है।

दिनांक [illegible] निष्पादकगण ....

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 569679

मूल

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियां ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान किये हैं–

1. मोहम्मह रफीक अख्तर (संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/ मुख्य ट्रस्टी)
2. मेहरुन्निसा एडवोकेट (महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय)
3. शेख शमी अख्तर हुसैन वल्द शेख मकबूल हुसैन मरहूम

निवासीगण मकान नम्बर एस–8/75ए, खजुरी, अर्दली बाजार, वार्ड सिकरौल, शहर व जिला वाराणसी।

<u>ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय–</u>

मकान नम्बर एस–8/75ए, खजुरी, अर्दली बाजार, वार्ड सिकरौल, शहर व जिला वाराणसी होगा।

<u>ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र–</u>

सम्पूर्ण भारत वर्ष।

<u>ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य–</u>

1. यह कि ट्रस्ट भिन्न–भिन्न स्थान पर उर्दू, अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थायें प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, नर्सिंग संस्थान, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजों एवं इंजीनियरिंग कालेज अन्य उच्च शिक्षा संस्थनों आदि की स्थापना करना।
2. यह कि ग्रामीण अंचल में मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ–साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना।

पढ़नेवाला-छोटेलाल/अभिलाषा नि०लि० /सत्यांशु सिंह नि०लि०

सुनने वाला-

सत्य प्रतिलिपि उ०नि० III, वाराणसी

पढ़ने वाला–एस० के० सिन्हा/ अभिलाषा

सुनने वाला ए० के० शुक्ला/ छोटे लाल

उ० नि० III वाराणसी

क्रमांक संख्या...... तिथि......

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ...... न्यास पत्र

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ......

स्टाम्प की धनराशि ......

स्टाम्प विक्रेता का नाम- प्रदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता

कलेक्ट्री कचहरी-वाराणसी

एस0 लाइसेंस संख्या 5/04/107/77

लाइसेंस की अवधि-2012-13 से 2016-17

न्यास की राशि	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग
10,000.00	100.00	20	120.00	1,000

श्री मोहम्मद रफीक अख्तर

पुत्र श्री शेख शमी अख्तर हुसैन

व्यवसाय व्यापार

निवासी स्थायी एस 8/75ए, खजुरी अर्दली बाजार वाराणसी

अस्थायी पता

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 19/10/2015 समय 3:24PM

बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

छोटेलाल (प्रभारी)
SRO3
Sub Registrar-3
19/10/2015

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून

न्यासी

श्री मोहम्मद रफीक अख्तर
पुत्र श्री शेख शमी अख्तर हुसैन
पेशा व्यापार
निवासी एस 8/75ए, खजुरी अर्दली बाजार
वाराणसी

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री बी0पी0शर्मा

पुत्र श्री वी0पी0शर्मा

पेशा वकालत

निवासी बी 5/132 अवधगर्वी सोनारपुरा वाराणसी

व श्री मंसूर अख्तर

पुत्र श्री स्व0 अख्तर जमाल

पेशा व्यापार

निवासी एस 7/30 पक्की बाजार वाराणसी

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

छोटेलाल (प्रभारी)
SRO3
Sub Registrar-3
19/10/2015

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 569680

3. यह कि प्रौढ़ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा, नौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलों की व्यवस्था, क्रीड़ा क्लब प्रबन्धन, प्रशिक्षण संस्थान, क्रीड़ा संसाधनों की स्थापना व व्यवस्था करना तथा संचालन करना।
4. यह कि शिक्षा का देश के कोने-कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना, संस्थानों की स्थापना करना, कम शुल्क में पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा हरसम्भव प्रयास करना।
5. यह कि ट्रस्ट भूमि भवन व पूँजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, मध्यम व समाज के दबे कुचले लोगों को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को उँचा उठायेगा।
6. यह कि लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना, खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलायी गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विकलांग विद्यालय, अनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक केन्द्र, आध्यात्मिक व धार्मिक आश्रम, वृद्धा आश्रम आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना, नारी उत्थान, बालोत्थान, कुष्ठरोगी, अस्पताल, प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार, लाईब्रेरी, कला केन्द्र, उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना, नर्सिंग होम की स्थापना करना।
7. यह कि ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला, राज्य व केन्द्रीय प्रशासन का समय साधना से समय-समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय समन्वय स्थापित कर समाज से सम्बन्धित कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय-विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज पर देना।

पढ़नेवाला-छोटेलाल/अभिलाषा नि०लि०
सत्यांशु सिंह नि०लि०
सुनने वाला-

सत्य प्रतिलिपि
उ०नि० III, वाराणसी

पढ़ने वाला-एस० के० सिन्हा / अभिलाषा
सुनने वाला-ए० के० शुक्ला / छोटेलाल

उ० नि० III वाराणसी

स्ताक्षर

के हस्ताक्षर

न्यासी

क्रमांक सख्या .... तिथि ....

Registration No.: 353 Year : 2,015 Book No. : 4

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ....

0101 मोहम्मद रफीक अख्तर

शेख शमी अख्तर हुसैन

स्टाम्प की धनराशि ....

स्टाम्प विक्रेता का नाम–प्रदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता

एस 8/75ए, खजुरी ... वाराणसी

कलेक्ट्री कचहरी–वाराणसी

व्यापार

लाइसेन्स की नम्बर–50/9/107/77

लाइसेन्स की अवधि–2012-13 से 2016-17

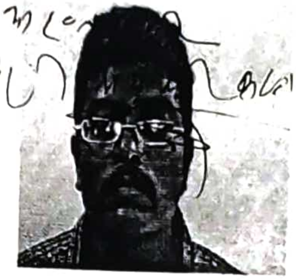

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 569681

8. यह कि बी0टी0सी0, बी0एड0, बी0पी0एड0, टेक्निकल कालेज, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 के स्कूलों की स्थापना करना। उ0प्र0 सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की संस्थापना करना तथा संचालन करना।
9. यह कि देश विदेश से चंदा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना। ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थायें खोली जायेगी, उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा।
10. यह कि गैर सरकरी संगठन के राजकीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्त कार्यो का सम्पादन करना। किसी समिति द्वारा उसके आग्रह पर उसके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं यथा- आश्रम, अनाथालय, वृद्धा आश्रम, चिकित्सालय, कष्ठ आश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसायिक, तकनीकी, प्राविधिक, चिकित्सालय आदि को ट्रस्ट में बिलीन करना एवं इनको ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना।
11. यह कि जनसंख्या नियंत्रण, एड्स जागरूक एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक कुरीतियों, बुराईयों, अंधविश्वासों के निवारण में राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं का समय साधना से सहयोग करना एवं उनका क्रियान्वयन करना। अन्य सार्वजनिक पूर्व (पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना।
12. यह कि कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह उद्योग, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग का उत्थान, भ्रष्टाचार निरोध कानून एवं व्यवस्था का विकास, प्राविधिनक शिक्षा आदि एवं चिकित्सा शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, वन आवास एवं शहरी नियोजन, एवं सूचना प्रौद्यागिकी, महिला कल्याण, भाषा, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पर्यअन, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, गंगा यमुना आदि स्वेच्छीकरण आपदा

पढ़नेवाला-छोटेलाल/अभिलाषा
नि0लि0
सुनने वाला- सत्यांशु सिंह
नि0लि0

सत्य प्रतिलिपि
उ0नि0 III, वाराणसी

पढ़ने वाला--एस0 के0 सिन्हा / अभिलाषा
सुनने वाला--ए0 के0 शुक्ला / छोटेलाल

उ0 नि0 III वाराणसी

स्टाम्प संख्या ......81636...... तिथि 7/10/2015

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ......Sale......

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता ......

....

स्टाम्प की धनराशि ......50......

स्टाम्प विक्रेता का नाम–प्रदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता

कलेक्ट्री कचहरी–वाराणसी

लाइसेन्स की नम्बर–50/9/107/77

लाइसेन्स की अवधि–2012-13 से 2016-17

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 569682

राहत, पेयजल एवं स्वच्छता, सहकारी समितियाँ, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण आदि विभिन्न कार्य करना।

<u>ट्रस्ट का कार्यकाल–</u>

ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल भी जीवनपर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा, अपने पद पर बना रहेगा। प्रथम ट्रस्टी की मृत्यु, त्याग पत्र, पागलपन आदि होने पर ट्रस्ट का महासचिव संस्थापक/द्वितीय ट्री मुख्य ट्रस्टी हो जायेगा ओर वह अपने परिवार के किसी सदस्य को महासचिव द्वितीय ट्रस्टी यदि किन्हीं कारणों से परिवार का कोई सदस्य इस योग्य न हो कि वह महासचिव संस्थापक का पद ग्रहण कर सके तो ऐसी स्थिति में परिवार के अतिरिक्त किसी को भी द्वितीय ट्रस्टी/महासचिव बना सकता है। यदि परिवार में कोई पुत्रियाँ/पुत्र और यह निर्णय न हो सके कि कौन महायसचिव/द्वितीय ट्रस्टी बने तो इसका निर्णय मुख्य ट्रस्टी/प्रथम ट्रस्टी लेगा, इसी प्रकार यदि महासचिव/द्वितीय ट्रस्टी की मृत्यु, त्यागपत्र की दशा में मुख्यट्रस्टी/सदस्य को द्वितीय ट्रस्टी बनायेगा और इस मामले में भी उपरोक्त शर्ते लागू होगी। भविष्य में दुर्घटना अथवा अन्य किसी कारण से मुख्य ट्रस्टी/प्रथम ट्रस्टी एवं द्वितीय ट्रस्टी की एक साथ मृत्यु हो जाती है अथवा उनका अधिकार समाप्त हो जाता है तो उस अवस्था में मुख्य ट्रस्टी/प्रथम ट्रस्टी के पुत्र अथवा पुत्री ट्रस्ट का मुख्य ट्रस्टी/प्रथम ट्रस्टी व द्वितीय ट्रस्टी होगें एवं यदि भविष्य में प्रथम ट्रस्टी मोहम्मह रफीक अख्तर व द्वितीय ट्रस्टी मेहरुन्निसा एडवोकेट अपना-अपना द्वितीय विवाह करते है तो उस अवस्था में उनका ट्रस्ट से समस्त अधिकार समाप्त हो जायेगा।

पढ़नेवाला-छोटेलाल/अभिलाषा नि०लि०

सुनने वाला- /सत्यांशु सिंह नि०लि०

सत्य प्रतिलिपि
उ०नि० III, वाराणसी

पढ़ने वाला–एस० के० सिन्हा / अभिलाषा
सुनने वाला–ए० के० शुक्ला / छोटे लाल

उ० नि० III वाराणसी

क्रमांक सख्या................ तिथि................

स्टाम्प क्रय करने का पयोजन................

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता................

....

स्टाम्प की धनराशि................

स्टाम्प विक्रेता का नाम–**प्रदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता**

कलट्टी कचहरी–वाराणसी

लाइसेन्स की नम्बर–50/9/107/77

लाइसेन्स की अवधि–2012-13 से 2016-17

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 569683

<u>ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता–</u>

नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 के अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत।

<u>ट्रस्ट की सदस्यता–</u>

ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय को मिलाकर वर्तमान समय में कुल दो सदस्य होगें। बाद में आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के सदस्यों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, जो अधिकतम 7 तक हो सकती है और इसके लिए शुल्क का निर्धारण सदस्य बढ़ाते समय ही लिया जायेगा। ट्रस्ट द्वारा किसी भी व्यक्ति को अंशकालिक प्रबन्धक भी नियुक्त किया जा सकता है, जिसका अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष का होगा और इसे संस्था के मुख्य ट्रस्टी द्वारा कभी भी बिना किसी कारण के हटाया जा सकता है।

<u>ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य–</u>

<u>मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी प्रथम–</u>

1. संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।
2. मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये ये निर्णय सर्वमान्य होगें।
3. संस्था की मीटिंग में बैठक की अख्यक्षता करना।
4. संस्था के सम्बन्ध में सभी निर्णय लेना, जो अंतिम होगा, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

पढ़नेवाला-छोटेलाल/अभिलाषा नि०लि०

/सुधांशु सिंह नि०लि०

सुनने वाला-

सत्य प्रतिलिपि उ०नि० III वाराणसी

पढ़ने वाला–एस० के० सिन्हा/अभिलाषा

सुनने वाला–ए० के० शुक्ला/छोटे लाल

उ० नि० III वाराणसी

क्रमांक संख्या 1563 तिथि [illegible]

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन ....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

स्टाम्प की धनराशि [illegible]

स्टाम्प विक्रेता का नाम–**प्रदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता**

कलक्ट्री कचहरी–वाराणसी

लाइसेन्स की नम्बर–50/9/107/77

लाइसेन्स की अवधि–2012-13 से 2016-17

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 569684

5. संस्था की सभी सभा में किसी विषय पर राय जानने व संस्था को सूचारु रूप से चलाने के लिए यदि किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह की आवश्यकता हो तो इसके लिए उस क्षेत्र के अनुभवी व्यक्ति को आने जाने के खर्च सहित (यदि फीस उचित है तो उसके साथ आमंत्रित कर सकता है), लेकिन उसकी राय बाध्यकारी नहीं होगी।
6. संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
7. आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।
8. ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।
9. ट्रस्ट (न्यास) वाह्य एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट (न्यास) के विकास के विभिन्न संसाधन इकठ्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना।
10. मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि भवन का क्रय-विक्रय लीज (पट्टा) करना, किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना एवं वादों के निस्तारण की पैरवी करना।
11. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की चल व अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।
12. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश-विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग, चंदा, आमजनता किसी भी व्यक्ति, फर्म, एसोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कार्पोरेट बॉडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त या सशर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना।
13. संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।

पढ़नेवाला-छोटेलाल/अभिलाषा नि०लि०

सुनने वाला- सत्यांशु सिंह नि०लि०

सत्य प्रतिलिपि उ०नि० III, वाराणसी

पढ़ने वाला--एस० के० सिन्हा / अभिलाषा

सुनने वाला--ए०.के० शुक्ला / छोटेलाल

उ० नि० III, वाराणसी

क्रमांक सख्या 1856 तिथि 21.12.2012

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

स्टाम्प की धनराशि 50

स्टाम्प विक्रेता का नाम–प्रदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता

कलेक्ट्री कचहरी–वाराणसी

लाइसेन्स की नम्बर–50/9/107/77

लाइसेन्स की अवधि–2012-13 से 2016-17

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

भारत सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH AW 569685

14. किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति/कम्पनी का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।
15. ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, असहमति लिखित रूप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों, परिनियमों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से वर्खास्त करना।
16. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों में निर्धारित शर्तो व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, पदोन्नति एवं पदच्युत करना। न्यास के ऐसे कार्यो को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित न ही किया जा सके न ही चुनौती दी जा सकेगी।
17. ट्रस्ट द्वारा संचालित स्कूल/कालेज/डिग्री कालेज आदि संस्थाओ, कार्यकलापों आदि के समस्त धनराशियों का संचालन करना व ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं चैरेटेबुल कार्यो में व्यय करना।

<u>महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय-</u>

1. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का सम्पादन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य ट्रस्टी को अवगत करायेगा।
2. बैठक बुलाना एवं सूचना देना।
3. ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए दिशा-निर्देश देना।
4. नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से जारी करना।

पढ़नेवाला-छोटेलाल/अभिलाषा
नि०लि०
/सत्यार्थ सिंह
नि०लि०
सुनने वाला-

सत्य प्रतिलिपि
उ०नि० III. वाराणसी

पढने वाला-एस० के० सिन्हा/अभिलाषा
सुनने वाला-ए० के० शुक्ला/छोटेलाल

उ० नि० III वाराणसी

क्रमांक सख्या......तिथि......

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन......

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता......

......

स्टाम्प की धनराशि......

स्टाम्प विक्रेता का नाम–प्रदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता

कलेक्ट्री कचहरी–वाराणसी

लाइसेन्स की नम्बर–50/9/107/77

लाइसेन्स की अवधि–2012-13 से 2016-17

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 569686

5. ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्य बनाने संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन एवं निष्कासन आदि की संस्तुति महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी को देना, परन्तु इस पर विचार कर कार्यवाही मुख्य ट्रस्टी द्वारा की जा सकती है, लेकिन कार्यवाही का अधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।
6. ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाएँ प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त कार्यो का सम्पादन करना।
7. ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

सदस्य ट्रस्टी–

वर्तमान समय में मुख्य ट्रस्टी/प्रथम ट्रस्टी व महासचिव ट्रस्टी/द्वितीय ट्रस्टी होगें एवं एक ट्रस्टी सदस्य होगा। भविश्य में आवश्यकतानुसार सदस्यों की संख्या बढ़ाई जायेगी, जो अधिकतम सात होगी।

ट्रस्ट (न्यास) के अंग–

वर्तमान समय में प्रबन्धकारिणी सदस्य ही हैं, जो तीन हैं, बाद में आवश्यकतानुसार सदस्य का गठन किया जायेगा, तब साधारण सभा प्रभावी होगी।

बैठकें–

साधारण बैठक व विशेष बैठक 24 घण्टे पूर्व की सूचना के बाद कोई भी बैठक बुलाई जा सकती है और स्थगित बैठक भी इसी प्रकार 24 घण्टे के अन्दर बुलाई जा सकती है।

कोरम–

कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 सदस्य की उपस्थिति पर कोरम मान्य होगा।

पढ़नेवाला-छोटेलाल/अभिलाषा नि०लि०

सत्यांशु सिंह नि०लि०

सुनने वाला-

सत्य प्रतिलिपि उ०नि० III, वाराणसी

पढ़ने वाला-एस० के० सिन्हा/अभिलाषा

सुनने वाला-ए० के० शुक्ला/छोटेलाल

उ० नि० III वाराणसी

...गम्प संख्या [illegible] तिथि [illegible]

...ाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

...ाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

...ाम्प की धनराशि [illegible]

...ाम्प बिक्रेता का नाम–प्रदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता

...लेक्ट्री कचहरी–वाराणसी

...सेन्स की नम्बर–50/9/107/77

...ेन्स की अवधि–2012-13 से 2016-17

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

AW 566099

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विशेष वार्षिक अधिवेशन–

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार जून माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य–

साधारण सभा के सदस्यों का यह कर्तव्य होगा कि बैठक में हिस्सा ले व अपनी राय मशविरा पेश करे और अंतिम फैसला प्रथम ट्रस्टी का ही होगा और यदि उन्हें किसी कार्य का प्रभावी बनाया जाता है या कोई कार्य सौपा जाता है तो उसे पूरी जिम्मेदारी से करे।

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति–

गठन–

साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें निम्न पद होगें। प्रबन्धक, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य। कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा या संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कालातीत नही होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

पढ़नेवाला-छोटेलाल/अभिलाषा
नि०लि०
/सत्यांशु सिंह
नि०लि०

सुनने वाला-

सत्य प्रतिलिपि
उ०नि० III, वाराणसी

पढ़ने वाला--एस० के० सिन्हा / अभिलाषा
सुनने वाला-ए० के० शुक्ला / छोटे लाल

उ० नि० III वाराणसी

क्रमांक सख्या [illegible] तिथि [illegible]

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

स्टाम्प की धनराशि 50

स्टाम्प विक्रेता का नाम–प्रदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता

कलेक्ट्री कचहरी–वाराणसी

लाइसेन्स की नम्बर–50/9/107/77

लाइसेन्स की अवधि–2012-13 से 2016-17

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 566100

<u>बैठकें–</u>

सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव/संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

<u>विशेष–</u>

विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की माँग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

<u>सूचना अवधि–</u>

साधारण स्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी समिति, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है। विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।

<u>गणपूर्ति–</u>

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के सदस्य बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

<u>रिक्त स्थानों की पूर्ति–</u>

रिक्त संस्थानों की पूर्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट के कार्यकाल शीर्षक में स्थित विवरण दिया जा चुका है। मुख्य ट्रस्टी द्वारा किसी भी सदस्य की नियुक्ति स्थान रिक्त होने पर शर्तो उपरोक्त के अधीन कर सकता है।

पढ़नेवाला-छोटेलाल/अभिलाषा
नि०लि०
सत्यांशु सिंह
नि०लि०

सुनने वाला-

सत्य प्रतिलिपि
उ०नि० III, वाराणसी

पढ़ने वाला- एस० के० सिन्हा / अभिलाषा
सुनने वाला ए० के० शुक्ला / छोटे लाल

उ० नि० III वाराणसी

क्रमांक संख्या [illegible] तिथि [illegible] 14

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

स्टाम्प की धनराशि [illegible]

स्टाम्प विक्रेता का नाम–प्रदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता

कलेक्ट्री कचहरी–वाराणसी

लाइसेन्स की नम्बर–50/9/107/[illegible]

लाइसेन्स की अवधि–2012-13 से 2016-17

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 566101

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य–

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होगें–

1. बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।
2. ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।
3. ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, निष्कासन, पदोन्नति, विनियमितिकरण का अनुमोदन करना।
4. आय–व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया–

समय–समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली में संशोधन एवं परिवर्धन कर सकती है। नियमावली की कटिंग अशुद्धि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा।

ट्रस्ट (न्यास) के कोष–

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी, जो किसी राष्ट्रीयकृत बैक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी/महासचिव ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा, परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन मुख्य ट्रस्टी द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

पढ़नेवाला-छोटेलाल/अभिलाषा
नि०लि०
/सत्यांशु सिंह
नि०लि०

सुनने वाला-

सत्य प्रतिलिपि
उ०नि० III, वाराणसी

पढ़ने वाला–एस० के० सिन्हा / अभिलाषा
सुनने वाला–ए० के० शुक्ला / छोटे लाल
उ० नि० III वाराणसी

क्रमांक सख्या [illegible] तिथि [illegible]

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन [illegible]

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता [illegible]

स्टाम्प की धनराशि ५० [illegible]

[illegible] प्रदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता

[illegible]

[illegible] S09/107/77

[illegible] 2012-13 से 2016-17

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 566102

ट्रस्ट (न्यास) के आय-व्यय का लेखा परीक्षण-

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था का आय-व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व-

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा, जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित नियुक्त कर सकती है।

ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख-

ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे- सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक संस्थापक मुख्य ट्रस्टी के पास होगें।

सदस्यों से अंशदान के माध्यम से प्राप्त रूपया 10,000/- (दस हजार रुपये) प्रारम्भिक कार्य हेतु प्राप्त किया गया है।

ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही-

2. ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

पढ़नेवाला-छोटेलाल/अभिलाषा

नि०लि०

अंशु सिंह

नि०लि०

सुनने वाला-

सत्य प्रतिलिपि

उ०नि० III, वाराणसी

...-एस० के० सिन्हा / अभिलाषा

...वाला-ए० के० शुक्ला / छोटे लाल

उ० नि० III वाराणसी

क्रमांक संख्या........ [illegible] .... तिथि.... [illegible] ....

स्टाम्प क्रय करने का पयोजन............ [illegible] ....

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता............ [illegible] ....

.... [illegible]

स्टाम्प की धनराशि.... 50 .... [illegible]

स्टाम्प विक्रेता का नाम–प्रदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता

कलेक्ट्री कचहरी–बाराबंकी

लाइसेन्स की नम्बर–50/9/107/7

लाइसेन्स की अवधि–2012-13 से 2016-17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 566103

1. ट्रस्ट (न्यास) संस्था का किसी भी कारण से विघटन होता है तो उस दशा में ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वामित्व संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा।

2ए– हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्राविधिक तकनीकी, चिकित्सा, व्यवसायिक, औद्योगिक संस्थानों/केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

2बी– संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्रदान करना।

2सी– केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीड़ित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि।

2डी– आयकर अधिनियम 1961 की सुसुंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

उपरोक्त ट्रस्ट के नियमावली को बदुरुस्ती होश व हवास बिना किसी दबाव के अपने स्वस्थ मस्तिष्क से यह दस्तावेज ट्रस्ट डीड (न्यास पत्र) लिख कर निबंधित करा दिया कि प्रमाण रहे व वक्त जरूरत पर काम आवे।

दिनांक– 19.10.2015

साक्षीगणः–

1. पूरा नाम ....अशोक कुमार शर्मा........
   पिता का नाम ....श्री [illegible] शर्मा........
   पूरा पता ....सि.के.138 [illegible] सोनारपुरा वाराणसी

पढ़नेवाला-छोटेलाल/अभिलाषा
नि०लि०
/सुधांशु सिंह
नि०लि०

सुनने वाला-

सत्य प्रतिलिपि
उ०नि० III वाराणसी

पढ़ने वाला–एस० के० सिन्हा / अभिलाषा
सुनने वाला–ए० के० शुक्ला / छोटे लाल

उ० नि० III वाराणसी

क्रमांक सख्या........ तिथि........

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन........

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता........

....

स्टाम्प की धनराशि........

स्टाम्प विक्रेता का नाम–प्रदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता

कलेक्ट्री कचहरी--वाराणसी

लाइसेन्स की नम्बर–50/9/107/77

लाइसेन्स की अवधि--2012-13 से 2016-17

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50 | FIFTY RUPEES Rs.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AW 566104

2. पूरा नाम [illegible]
पिता का नाम [illegible]
पूरा पता [illegible] 7/30 [illegible]

मसविदाकर्ता:- .... एडवोकेट
कलेक्टरी कचहरी, वाराणसी

टाईपकर्ता:- विकास कम्प्यूटर्स, कलेक्टरी कचहरी, वाराणसी

पढ़नेवाला-छोटेलाल/अभिलाषा
नि०लि०

सुनने वाला- सत्यांशु सिंह
नि०लि०

सत्य प्रतिलिपि
उ०नि० III, वाराणसी

पढ़ने वाला-एस० के० सिन्हा/अभिलाषा
सुनने वाला-ए० के० शुक्ला/छोटे लाल

उ० नि० III वाराणसी

392

क्रमांक संख्या........................तिथि..........

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन........................

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता........................

....

स्टाम्प की धनराशि.......... ... .

स्टाम्प विक्रेता का नाम--प्रदीप कुमार स्टाम्प विक्रेता

कचहरी कलक्टरी--वाराणसी

लाइसेन्स की संख्या--50/9/107/77

लाइसेन्स की अवधि--2012-13 से 2016-17

आज दिनांक **19/10/2015** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **135**

पृष्ठ सं. **363** से **392** पर कमांक **353**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

छोटेलाल (प्रभारी)

SRO3

Sub Registrar-3

19/10/2015

उत्तर

97

पढ़नेवाला-छोटेलाल/अभिलाषा
नि०लि०

सुनने वाला- /सत्यांशु सिंह
नि०लि०

सत्य प्रतिलिपि
उ०नि० III, वाराणसी

21/7/17

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH　　　　19AD 004141

डीड ऑफ इन्डोर्समेन्ट

(ट्रस्ट डीड)

नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, पंजीकृत कार्यालय मकान नम्बर एस-8/75ए, खजुरी, अर्दली बाजार, वार्ड सिकरौल, शहर व जिला वाराणसी बजरिये संस्थापक **ट्रस्टी प्रथम/मुख्य ट्रस्टी मोहम्मह रफीक अख्तर** पुत्र श्री शेख शमी अख्तर निवासी मकान नम्बर एस-8/75ए, खजुरी, अर्दली बाजार, वार्ड सिकरौल, शहर व जिला वाराणसी का हूँ।

नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

मुख्य ट्रस्टी

१२७२
१०) २७-६-२०१६

नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा संस्थापक ट्रस्टी प्रथम मो० रफीक अख्तर मदनी बाजार

दिलीप कुमार
स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्री कचहरी वाराणसी
६३/१५१/२४

वाराणसी-जिला

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AD 004140

विदित हो कि मोहम्मह रफीक अख्तर पुत्र श्री शेख शमी अख्तर निवासी मकान नम्बर एस–8/75ए, खजुरी, अर्दली बाजार, वार्ड सिकरौल, शहर व जिला वाराणसी ने एक ट्रस्ट डीड दिनांक 19.10.2015 ई0 को नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट, पंजीकृत कार्यालय मकान नम्बर एस–8/75ए, खजुरी, अर्दली बाजार, वार्ड सिकरौल, शहर व जिला वाराणसी को तहरीर करके उसका पंजीयन सब रजिस्ट्रार तृतीय, वाराणसी के कार्यालय में बही नम्बर 4, जिल्द नम्बर 135, पृष्ठ संख्या 363 ता 392 दस्तावेज नम्बर 353 दिनांक 19.10.2015 ई0 को पंजीकृत है। ट्रस्ट डीड को तहरीर किये जाते समय टंकण त्रुटिवश ट्रस्ट डीड में कुछ आवश्यक तथ्य छूट गये है, जिसे तहरीर किया जाना जरूरी है। डीड आफ इन्डोर्समेण्ट से स्टाम्प आदि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतः ट्रस्ट डीड दिनांक 19.10.2015 ई0 में निम्न बातें तहरीर किया जायः–

नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

मुख्य ट्रस्टी

२२८३
१०) २८-६-२०१६
नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जरिये संस्थापक ट्रस्टी प्रधम मो० रफीक अख्तर अर्दली बाजार

दिलीप कुमार
स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्री कचहरी वाराणसी

यास पत्र

न्यास की राशि	100.00	फीस रजिस्ट्री	60	नकल व प्रति शुल्क	160.00	20

पृष्ठों की संख्या

श्री नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जरिये मोहम्मद रफीक अख्तर
पुत्र श्री शेख शमी अख्तर
व्यवसाय व्यापार
निवासी स्थायी अस्थायी पता एस 8/75ए खजुरी अर्दली बाजार वाराणसी
ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 5/7/2017 समय 4:18PM
बजे निबन्धन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
आलोक
SRO3
Sub Registrar-3
5/7/2017

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमून
न्यासी
श्री नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जरिये मोहम्मद रफीक अख्तर
पुत्र श्री शेख शमी अख्तर
पेशा व्यापार
निवासी एस 8/75ए खजुरी अर्दली बाजार वाराणसी

ने निष्पादन स्वीकार किया।
जिनकी पहचान मो0 शमशेर
मो0 सनउवर
पेशा व्यापार
निवासी बौलिया लहरतारा वाराणसी
व विजय प्रकाश शर्मा
वीपी0शर्मा
पेशा वकलत
निवासी बी 5/139 अवधगर्वी वाराणसी
ने की।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर
आलोक
SRO3
Sub Registrar-3
5/7/2017

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

TEN RUPEES Rs.10

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 19AD 004139

01. यह कि ट्रस्ट डीड में पृष्ठ संख्या-5 पर नम्बर- (12) के बाद एक नया नम्बर-(13) निम्न तरीक पर जोड़ा जाय-

(13) **यह कि प्रतिबन्धों की बाध्यता :**

प्रतिबन्ध-

क-	पंजीकृत ट्रस्ट के विद्यालय द्वारा समय-समय पर सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा।
ख-	विद्यालय की प्रबन्ध समिति में संयुक्त शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

मुख्य ट्रस्टी

२२८४
१०/२९-६-२०१६
नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जरिये संस्थापक ट्रस्टी प्रधान मो० रफीक अख्तर अर्दली बाजार

न्यासी

दिलीप कुमार
स्टाम्प विक्रेता
लेवट्री कचहरी वाराणसी

Registration No.: 175 Year : 2,017 Book No.: 4

0101 नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जरिये मोहम्मद रफीक अख्तर

शेख शमी अख्तर

एस 8/75ए खजुरी अर्दली बाजार वाराणसी

व्यापार

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AD 004138

ग–	विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
घ–	संस्था द्वारा राज्य सरकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय का सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्डरी एजूकेशन, नई दिल्ली/कौंसिल फार दी इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

मुख्य ट्रस्टी

२२८४

१०)२४-६-२०१६

नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट बजरिये संस्थापक ट्रस्टी प्रथम मो० रफीक अख्तर अदीबी वाजा।

गवाह

दिलीप कुमार
स्टाम्प विक्रेता
कचहरी वाराणसी

Registration No.: 175 Year : 2017 Book No. : 4

W1 मो0 शमशेर मो० शमशेर

मो0 सनउवर

बौलिया लहरतारा वाराणसी

व्यापार

W2 विजय प्रकाश शर्मा

बीपी0शर्मा

बी 5/139 अवधगर्वी वाराणसी

वकालत

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AD 004137

ङ.–	संस्था के शिक्षक तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।
च–	कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनाई जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।
छ–	राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें, संस्था उसका पालन करेगी।

नेशनल बेलफेयर ट्रस्ट

MD

मुख्य ट्रस्टी

२२७६
१०)२७-६-२०१८

नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जरिये संस्थापक ट्रस्टी प्रथम मो० रफीक अख्तर अदली बाजार

दिलीप कुमार
स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्री कचहरी वाराणसी
६३/१५१/२४

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AD 407423

ज–	विद्यालय के रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा। यदि हाँ तो कृपया प्रबन्धिकरण का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करे कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध कम एक से आठ तक स्वीकार है।

02. यह कि विद्यालय से सम्बन्धित विकास, कल्याण व निर्माण, मरम्मत व अन्य आवश्यक कार्य हेतु किसी भी सरकारी या गैर सरकारी बैंक

नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

मुख्य ट्रस्टी

[redacted]

२३०४
१०)२४-६-२०१८

नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जरिये संस्थापक ट्रस्टी प्रथम मो० रफीक अख्तर अर्दली बाजार।

दिलीप कुमार
स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्री कचहरी वाराणसी
८३/१५१/२४

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AD 407424

व अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने अथवा वित्तीय सहयोग लेने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा।

03. यह कि उक्त संशोधन के परिणाम स्वरूप ट्रस्ट डीड के मालियत में किसी प्रकार का कोई अंतर नही आता है और न ही मूल प्रलेख की प्रकृति में कोई परिवर्तन होता है।

04. यह कि इस डीड ऑफ इन्डोर्समेन्ट से अन्य किसी पक्षकार के अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है और न ही किसी मुकदमें में

नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

MD

२३०६

१०)२५-६-२०१६

नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट बजरिये संस्थापक ट्रस्टी प्रथम मो० रफीक अख्तर अर्दली बाजार

दिलीप कुमार
स्टाम्प विक्रेता
फौजदारी कचहरी वाराणसी
3/1921/24

वाराणसी-जिला

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 19AD 407425

लाभ लेने के लिए किया जा रहा है, बल्कि यह डीड ऑफ इन्डोर्समेन्ट ट्रस्ट द्वारा सी0बी0एस0सी0, नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के सम्बद्धता हेतु आवश्यक है।

05. यह कि यह डीड ऑफ इन्डोर्समेन्ट मूल ट्रस्ट डीड दिनांकित 19.10.2015 ई0 का अंग माना जायेगा।

अतः मिनंमुकिर ने उपरोक्त डीड ऑफ इन्डोर्समेन्ट को बखूबी पढ़ व पढ़वाकर सुन व समझकर स्वेच्छा से प्रसन्नतापूर्वक बिला किसी जोर दबाव

मैनेजिंग वेलफेयर ट्रस्ट

मुख्य ट्रस्टी

२३०६
१०) २८-६-२०१६

नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट बजरिये संस्थापक ट्रस्टी प्रथम मो० रफीक अरन्तर अर्दली बाजार

दिलीप कुमार
स्टाम्प विक्रेता
लेक्ट्री कचहरी वाराणसी
८३/१५१/२४

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये
रु.10

TEN RUPEES
Rs.10

सत्यमेव जयते
INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AD 407436

नाजायज के स्वस्थ चित्त से डीड ऑफ इन्डोर्समेन्ट तहरीर कर दिया कि वक्त जरूरत पर काम आवें और सनद रहे।

तहरीर तारीख– 30.06.2017

साक्षीगणः–

1. पूरा नाम .... मो० शमशेर
   पिता का नाम .... मो० सनउवर
   पूरा पता .... चौलिया लहरतारा मढौली वाराणसी
   मोबाइल नम्बर– 9839011430
   हस्ताक्षर– मो० शमशेर

नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट

मुख्य ट्रस्टी

२३९०
१०) ३०-६-२०१६

नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट बजरिये संस्थापक ट्रस्टी
प्रथम मो० रफीक अख्तर अर्दली बाजार

दिलीप कुमार
स्टाम्प विक्रेता
दीवानी कचहरी वाराणसी
[illegible]/१२१/२४

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AD 004132

10

2. पूरा नाम विजय प्रकाश शर्मा

पिता का नाम श्री बी.पी. शर्मा

पूरा पता B 5/139 [illegible]

मोबाइल नम्बर– [illegible]

हस्ताक्षर– [signature]

मसविदाकर्ताः– S. m. [illegible] Advo

एडवोकेट

कलेक्टरी कचहरी, वाराणसी

टाईपकर्ताः– [signature]

विकास कम्प्यूटर्स,

कलेक्टरी कचहरी, वाराणसी

[illegible] वेलफेयर ट्रस्ट

मुख्य ट्रस्टी

2307

10)28-6-2016

नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट बजरिये संस्थापक ट्रस्टी प्रथम मो० रफीक अख्तर अर्दली बाजार

दिलीप कुमार
स्टाम्प विक्रेता
कलेक्ट्री कचहरी वाराणसी
६३/१५९/२४

आज दिनांक **05/07/2017** को

वही सं. **4** जिल्द सं. **170**

पृष्ठ सं. **129** से **148** पर कमांक **175**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आलोक

SRO3

Sub Registrar-3

5/7/2017